एसबी आदेश सं. 14/2021

फाइल सं.-25-11/2016-एफएस-सीबीएस

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(एफ.एस.डिविजन)

डाक भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक:-~~28/06/2021~~ 29/07/2021

सेवा में,

सभी सर्कल/परिमंडल अध्यक्ष।

विषय : सी बी एस डाकघरों में बंद स्कीमों अर्थात् एनएसएस-87 एवम् एनएसएस-92 से जुड़े खातों के हस्तांतरण के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया एस बी ऑर्डर सं.- 11/2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जो कि इस कार्यालय के पत्र सं. 25-11/2016 एफएस-सीबीएस के संदर्भ में जारी किया गया था। कोविड-19 महामारी से जुड़ी समस्याओं के दृष्टिगत इस कार्यालय को खाताधारकों से एनएसएस-87/एनएसएस-92 खातों को डाकघर (जहाँ उनका खाता है) से उनके मौजूदा निवास स्थान पर हस्तांतरण करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं।

(2.) खाताधारकों के समक्ष आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने सीबीएस डाकघरों में चल रहे एनएसएस-87 और एनएसएस-92 खातों को अन्य प्रधान डाकघर में हस्तांतरित करने कि अनुमति देने का निर्णय लिया है।

(3.) एनएसएस-87 और एनएसएस-92 खातों के हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

(i) यदि बंद योजना (एनएसएस-87/एनएसएस-92) का खाताधारक संबंधित मुख्यालय में उपस्थित नहीं हो पाता है, जहां उसका खाता है तो उसे खाते के हस्तांतरण के लिए आवेदन, निर्धारित खाता हस्तांतरण शुल्क, पास बुक, पहचान पत्र की प्रति, पेन कार्ड, आधार कार्ड की प्रति अथवा पते के प्रमाण की प्रति निकट के प्रधान डाकघर में प्रस्तुत करनी होगी।

(ii) उल्लिखित दस्तावेजों के प्राप्त होने के पश्चात् पर्यवेक्षक केवाईसी दस्तावेजों का मूल दस्तावेज से मिलान करेगा और दस्तावेजों को सत्यापित करेगा।

(iii) पर्यवेक्षक एचएसीएलआई (HACLI) में खाते के शेष की जांच करेंगे और उसकी पासबुक में उपलब्ध शेष के साथ मिलान करेंगे।

(iv) पर्यवेक्षक फिनेकल में उपलब्ध हस्ताक्षर की हस्तांतरण आवेदन फॉर्म/ केवाईसी दस्तावेजों के साथ तुलना करेंगे।

(v) यदि फिनेकल में उपलब्ध शेष और हस्ताक्षर पासबुक/खाता हस्तांतरण आवेदन फॉर्म से मिलान हो जाता है तो पर्यवेक्षक निर्धारितानुसार खाता हस्तांतरण की प्रक्रिया आरंभ करेगा।

(vi) यदि फिनेकल में शेष अथवा हस्ताक्षर पासबुक/खाता हस्तांतरण आवेदन से मेल नहीं हो पाता है तो संबंधित डाकघर खाता हस्तांतरण आवेदन, केवाईसी दस्तावेजों की विधिवत रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां उस संबंधित प्रधान डाकघर को भेजेगा जहाँ खाता है (प्रधान डाकघर अथवा किसी उप डाकघर में जो खाते के क्षेत्राधिकार में आता हो)। ये सब पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाएंगे। उपरोक्त दस्तावेजों की एक प्रति भविष्य में संदर्भ के लिए हस्तांतरिती मुख्यालय में रखी जानी है।

(vii) स्थानांतरण आवेदन/केवाईसी दस्तावेजों के प्राप्त होने के पश्चात्, प्रधान डाकघर का पर्यवेक्षक, जहाँ खाता है, प्रधान डाकघर अथवा उप डाकघर में जो खातों के क्षेत्राधिकार में आता हो हस्तांतरण आवेदन और केवाईसी दस्तावेजों के साथ अधिशेष का सत्यापन, हस्ताक्षर का सत्यापन उपलब्ध रिकॉर्ड के साथ किया जाएगा।

(viii) अधिशेष एवम् हस्ताक्षर के सत्यापन के पश्चात्, सम्बन्धित प्रधान डाकघर का पर्यवेक्षक निर्धारितानुसार फिनेकल में खाता हस्तांतरण प्रक्रिया आरंभ करेगा। यह क्रियाकलाप सम्बंधित प्रधान डाकघ्रर द्वारा हस्तांतरण आवेदन के प्राप्त होने के 07 कार्य दिवसों के अंदर पूर्ण की जानी है।

(ix) खाते के हस्तांतरण के संबंध में सूचना हस्तांतरणकर्ता प्रधान डाकघ्रर द्वारा पंजीकृत डाक द्वारा हस्तांतरिती मुख्य डाकघ्रर को भेजी जाएगी।

(x) खाते के हस्तांतरण के पश्चात्, खाताधारक खाता बंद करने के फार्म को जमा करते हुए अपने एनएसएस-87/एनएसएस-92 खाते को प्रधान डाकघ्रर से बंद कर सकते हैं। भुगतान चेक द्वारा अथवा खाताधारकों के डाकघर बचत खाते में जमा करके किया जाएगा।

(xi) किसी भी प्रकार के दुर्विनियोजन/धोखाधड़ी से बचने के लिए खाते के हस्तांतरण/खाते को बंद करने से पहले आवश्यक सावधानी बरती जाए।

(4.) अनुरोध है कि यह एसबी ऑर्डर सुचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी सम्बन्धितों को परिचालित किया जाए।

(5.) इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय

(देवेन्द्र शर्मा)
सहायक निदेशक (एसबी-II)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

प्रति:-अंग्रेजी पाठ के अनुसार।